



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2015/चैत्र 10, 1937

No. 656]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2015/CHAITRA 10, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

का.आ. 878(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि. द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में तदनु रूप प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के, स्तंभ (2) में तदनु रूप प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट खंड के निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
52	मिशन चरेली-जमागुड़ी खंड (असम राज्य में)	किमी. 135.000 से किमी. 182.000

[फा. सं. एनएच-14012/7/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

S.O. 878(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
52	Mission Chariali-Jamaguri section (In the State of Assam)	Km. 135.000 to Km. 182.000

[F. No. NH-14012/7/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

का.आ. 879(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 [किमी 963.000 से किमी 1126 (रारा-31सी/31-नलबाड़ी गुवाहाटी जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], सं. 31बी, सं. 36 [किमी 0.000 से किमी 38.000 (दाबोका से नगांव खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 37 [किमी 146.000 से किमी 274.000 (गुवाहाटी बाइपास सहित गुवाहाटी से नगांव) तक खंड को छोड़कर], किमी 278.58 से किमी 315.315 (नगांव बाइपास से कलियाबोर खंड) और किमी 402.500 से किमी 583.420 (नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 37ए किमी 0.000 से किमी 17.300 (कलियाबोर तिनियाली से ढोलाबारी जंक्शन खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 38, सं. 39, सं. 44, सं. 51, सं. 52 [किमी 135.000 से किमी 264.100 (मिशन चरेली-जामगुड़ी से गोहपुर खंड) और किमी 845.000 से किमी 876.000 (रूपाई से दीरक खंड) तक खंड को छोड़कर] , सं. 52ए [किमी 20.370 से किमी 30.045 (गोहपुर से होलोगी खंड) तक खंड को छोड़कर],	असम राज्य सरकार।

सं. 52बी, सं. 53 [किमी 6.25 से किमी 10.400 (सिलचर-बदरपुर खंड) और किमी 22.900 से किमी 28.570 (सिलचर- बदरपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 54 [किमी 0.000 से किमी 309.000 (सिलचर- हाफलोंग- लंका- दाबोका खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 61, सं. 151, सं. 152, सं. 153, सं. 154, नई रारा सं. 315ए, नई रारा सं. 127बी, नई रारा सं. 127सी और नई रारा सं. 127डी के उतने भाग जो कि असम राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

[फा. सं. एनएच-14012/7/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 254(अ), तारीख 28 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

S.O. 879(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"3	So much of National Highways No. 31 [excluding Km. 963.000 to Km. 1126 (Junction of National Highways 31C/31-Nalbari Guwahati)], No. 31B, No. 36 [excluding from Km. 0.000 to Km. 38.000 (section from Daboka to Nagaon)], No. 37 [excluding from Km.146.000 to Km. 274.000 (Guwahati to Nagaon including Guwanhati Bypass), from Km. 278.58 to Km.315.315 (Nagaon Bypass to Kaliabor section) and from Km. 402.500 to Km. 583.420 (Namaligarh to Dibrugarh section)], No. 37A [excluding from Km.0.000 to Km. 17.300 (Kaliabor Tinali to Dholabari Junction section)], No. 38, No.39, No. 44, No. 51, No. 52 [excluding from km 135.000 to Km. 264.100 (Mission Charaili-Jamaguri to Gohpur section) and from Km. 845.000 to 876.000 (section from Rupai to Dirak)], No. 52A [excluding from Km. 20.370 to Km. 30.045 (Gohpur to Holongi section)], No. 52B, No. 53 [excluding from Km. 6.25 to Km. 10.400 (Silchar-Badarpur section) and from Km. 22.900 to Km. 28.570 (Silchar-Badarpur section)], No. 54 [excluding from km. 0.000 to Km. 309.000 (Silchar-Haflong-Lanka-Daboka section), No. 61, No. 151, No. 152, No. 153, No. 154, new NH No.315A, new NH No.127B, new NH No.127C and new NH No.127D as are situated within the State of Assam.	State Government of Assam.

[F. No. NH-14012/7/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 254(E), dated the 28th January, 2015.